राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2221463, **Email ID: uhcrajasthan@gmail.com**

F-42( )/NHM/HWC/2018/3702 दिनांक :– 1/8/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त राजस्थान।

विषय :– हैल्थ वैलनेस सेन्टर के सुचारू संचालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17 जुलाई 2018 को **अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदया** के द्वारा जिले के 2 स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों **देव का हरमाड़ा एवं भानीपुरा, जयपुर** का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये:–

1. प्रिवेन्टीव एवं प्रमोटिव आउटरीच सेवाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO (CHO) के द्वारा माईक्रोप्लान बना कर गतिविधियों को पूर्ण करना।
2. जिन केन्द्रों पर CHO की नियुक्ति है वहां पर ANC/Immunization/HBNC के लक्ष्यों को शतप्रतिशत हासिल करना एवं इन केन्द्रों पर NCD गतिविधियां आवश्यक रूप से फैमली फोल्डर बनाते हुए की जानी है।
3. सभी केन्द्रों पर आवश्यक रजिस्टर समरूपता के साथ प्रिटं करवा कर उपलब्ध करवाना।
4. सभी केन्द्रो पर आईईसी मैटेरियल व्यवस्थित रूप से लगे इस हेतु आदर्श पीएचसी की गाईड लाईन को उपयोग में लेना सुनिश्चित करावें। **(संलग्न)**
5. केन्द्रो के चारो तरफ रिक्त पड़े स्थानो पर पौधा रोपण का कार्य करना, औषधिए पादप ईत्यादि।
6. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके इस के लिए सरपंच/प्रधान/वार्डपंच के समन्वय में कार्य सम्पन्न करना।
7. स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं जैसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि की CHO को पूर्ण जानकारी हो।
8. स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों के चारो तरफ एवं भवन में पानी के भराव की स्थिति ना हो इस हेतु सिविल विंग के साथ समन्वय कर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
9. जिन केन्द्रो पर डिलेवरी हो सकती है उन्हें पहचान कर केवल वहीं पर लेबर टेबल एवं बैड की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
10. जिन केन्द्रो के संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर दो चिकित्सक उपलब्ध हो उसमें से एक चिकित्सक के द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र पर सप्ताह में एक बार निश्चित दिवस पर नियमित रूप से स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों पर NCD के लिए सेवाएं देना।

11. CHO को सीजनल डिजिज जैसे मलेरिया/डेंगू/चिकिनगुनिया/स्क्रब टाईफस इत्यादि की रोक थाम के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जा कर इससे संबंधित गतिविधियां सम्पन्न करते हुए जिला मुख्यालय को सूचित करना।

12. CHO के द्वारा PHC पर होने वाली सेक्टर मिटिंग में नियमित रूप से भाग लिया जायेगा।

13. CHO और एएनएम को जिला अस्पताल में भेज कर SNCU एवं अन्य सेवाओं/योजनाओं के बारे में जानकारी देना ताकि लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सकें।

(नवीन जैन)
शासन सचिव
चिकित्सा,स्वास्थ्य,प.क. एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकि0 स्वा विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य।
4. राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी।
5. परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण।
6. राज्य नोडल अधिकारी एमएनडीवाई, एमएनजेवाई, एनसीडी।
7. सलाहकार ट्रेनिंग, एनएचएम जयपुर।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, समस्त जिले राजस्थान।
9. सर्वर प्रभारी कक्ष को सम्बन्धित को हेतु ई-मेल हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.जलज विजय)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक,
एन.एच.एम.